तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व ता... अहकाम जो... हुक्म की त... में जारी...
18/1/24	पत्रावली पेश हुई ! पी.अ. अवकाश, अन्य कार्यों में व्यस्त आयन्दा पत्रावली दिनांक 25/1/24 को पेश हो। रीडर	
25/1/24	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरीकेन उप. वास्ते बहस ....आयन्दा दि. 03/04/24 को पेश हो। तबतक हल्का से पटवारी T.I. रिपोर्ट बहाली जावे S.D.O.	
03 04/24	पत्रावली पेश हुई [illegible] उप. वास्ते बहस को पेश हो। 22/5/24	
22/5/24	पत्रावली पेश हुई ! पी.अ. अवकाश, अन्य कार्यों में व्यस्त आयन्दा पत्रावली दिनांक 20/6/24 को पेश हो। रीडर	
20 06/24	पत्रावली पेश हुई । पी.अ. अवकाश, अन्य कार्यों में व्यस्त आयन्दा पत्रावली दिनांक 18 07/24 को पेश हो। रीडर	
18 07/24	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरीकेन उप. वास्ते बहस......आयन्दा दि. 08/8/24 को पेश हो। S.D.O.	प्रति [illegible] वकालतनामा पेश
08 08/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप०। वकील प्रार्थी ने प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहराते हुए नाकेसला निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया। वकील अप्रार्थी ने प्रार्थी वकील के के अभिकथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि दिनांक 17/5/1989 के उपनिवेशन आयुक्त बीकानेर द्वारा प्रतिवादीगण के दादा/पिता/पति को विधिवत रूप से आवंटित किया गया है तथा अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि	

	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार हैं। वादग्रस्त भूमि पर अप्रार्थीगण 1 ता 14 का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है इस प्रकार न तो प्रार्थीगण का प्रथमदृष्टया मामला बनता है और सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं है। कब्जा काश्त के अभाव में अपूर्णीय क्षति की संभावना भी प्रार्थीगण को नहीं है। अपितु अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि के खातेदार काश्तकार हैं अतः पत्रावली में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज की जावे। बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस पर गौर किया गया। बाद बहस प्रार्थना पत्र के आधार पर जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो दाखिल दफ्तर हो। Rajendra उपखण्ड अधिकारी लूणकरणसर	